

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :-184 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वागाराम पुत्र वोहताराम		1. गजाराम पुत्र रायमलराम
2.केहराराम पुत्र वोहताराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी सजाड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		2. छगनाराम पुत्र रायमलराम
		3. मीरोंदेवी पत्नि रायमलराम
		4. गोरखाराम पुत्र खेताराम
		5. सांवलाराम पुत्र खेताराम
		6. जोगाराम पुत्र खेताराम
		7. दुरगाराम पुत्र हरचन्द्रराम
		8. दोलाराम पुत्र हरचन्द्रराम
		9. नरसाराम पुत्र हरचन्द्रराम
		10. लिखमाराम पुत्र हरचन्द्रराम
		11. झमूदेवी पत्नि हरचन्द्रराम
		12. धर्मराम पुत्र मंगलाराम
		13. बालकाराम पुत्र मंगलाराम
		14. अमियोदेवी पत्नि मंगलाराम
		15. नरसाराम पुत्र खुबाराम
		16. बाबुलाल पुत्र खुबाराम
		17. तगुदेवी पत्नि 'खुबाराम
		18. तगुदेवी पत्नि खुबाराम
		19. देवाराम पुत्र जवानाराम
		20. अमकीदेवी पत्नि वागाराम
		21. रामा पुत्र वेना
		22. सफीदेवी पत्नि केहराराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी सजाड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
		23. तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान गू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत-

1. प्रार्थीगण स्वयं उपरिथत।
2. पैरोकार सरकार उपरिथत।
3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा-

आदेश

दिनांक- 04.07.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि जिला बाड़मेर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम खारा महेचान के खेत खसरा संख्या 248 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 257 रकबा 2 2895 हैक्टेयर कुल रकबा 2.4513 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 243, 249, 250, 258, 520 रकबा क्रमशः 0.4450, 0.9304, 0.1618, 0.4773, 1.1002 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1147 हैक्टेयर तथा ग्राम सजाड़ा के खसरा संख्या 338 रकबा 1.8850 हैक्टेयर, खसरा संख्या 344 रकबा 0.6472 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5322 हैक्टेयर तथा पटवार मण्डल दाखां के ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 156, 158, 24, 67, 69 रकबा क्रमशः 1.9578, 2.5807, 16.2447, 4.7327, 0.7038 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2197 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त भूमि प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है अर्थात प्रार्थीगण के पिता स्व. वोहताराम के निधन होने पर बतौर विधिक वारिस प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा भूलवश प्रार्थी संख्या 1 के सही नाम वागाराम पुत्र वोहताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 केहराराम पुत्र वोहताराम के स्थान पर ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 248, 257 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम बागाराम पुत्र वोताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसराराम पुत्र वोताराम, खसरा संख्या 243, 249, 250, 258, 520 में प्रार्थी संख्या 1 गलत नाम बागा पुत्र वोता तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसरा पुत्र वोता तथा ग्राम सजाड़ा के खसरा संख्या 338, 344 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम वागाराम पुत्र वोताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसराराम पुत्र वोताराम तथा ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 156, 158, 24, 67, 69 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम बागाराम पुत्र बस्ताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केहराराम पुत्र बस्ताराम दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी

उपखाण्ड अधिकारी
सिणधरी

संख्या 1 का सही नाम वागाराम पुत्र वोहताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम केहराराम पुत्र वोहताराम का राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान दुरुस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 23 की तरफ से पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम खारा महेचान के खेत खसरा संख्या 248 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 257 रकबा 2 2895 हैक्टेयर कुल रकबा 2.4513 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 243, 249, 250, 258, 520 रकबा क्रमशः 0.4450, 0.9304, 0.1618, 0.4773, 1.1002 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1147 हैक्टेयर तथा ग्राम सजाड़ा के खसरा संख्या 338 रकबा 1.8850 हैक्टेयर, खसरा संख्या 344 रकबा 0.6472 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5322 हैक्टेयर तथा पटवार मण्डल दाखां के ग्राम दण्ड के खसरा संख्या 156, 158, 24, 67, 69 रकबा क्रमशः 1.9578, 2.5807, 16. 2447, 4.7327, 0.7038 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2197 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त भूमि प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है अर्थात् प्रार्थीगण के पिता स्व. वोहताराम के निधन होने पर बतौर विधिक वारिस प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई। कि राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा भूलवश प्रार्थी संख्या 1 के सही नाम वागाराम पुत्र वोहताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 केहराराम पुत्र वोहताराम के स्थान पर ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 248, 257 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम बागाराम पुत्र वोताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसराराम पुत्र वोताराम, खसरा संख्या 243, 249, 250, 258, 520 में प्रार्थी संख्या 1 गलत नाम बागा पुत्र वोता तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसरा पुत्र वोता तथा ग्राम सजाड़ा के खसरा संख्या 338, 344 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम वागाराम पुत्र वोताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसराराम पुत्र वोताराम तथा ग्राम दण्ड के खसरा संख्या 156, 158, 24, 67, 69 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम बागाराम पुत्र बस्ताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केहराराम पुत्र बस्ताराम दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज किया गया है, अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर गलत नामांकन से प्रार्थीगण को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं

हो रहा है, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी सं. 1 का वास्तविक नाम वागाराम पुत्र वोहताराम व विप्रार्थी सं. 2 का केहराराम पुत्र वोहताराम ही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज प्रार्थीगण का नाम इस्तदुआ अनुसार दुरुस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी संख्या 1 के सही नाम वागाराम पुत्र वोहताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 केहराराम पुत्र वोहताराम के स्थान पर ग्राम खारा महेचान के खसरा संख्या 248, 257 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम बागाराम पुत्र वोताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसराराम पुत्र वोताराम, खसरा संख्या 243, 249, 250, 258, 520 में प्रार्थी संख्या 1 गलत नाम बागा पुत्र वोता तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसरा पुत्र वोता तथा ग्राम सजाड़ा के खसरा संख्या 338, 344 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम वागाराम पुत्र वोताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केसराराम पुत्र वोताराम तथा ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 156, 158, 24, 67, 69 में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम बागाराम पुत्र बस्ताराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का गलत नाम केहराराम पुत्र बस्ताराम दर्ज कर दिया गया है इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपनी जांच रिपोर्ट के तथ्यों अनुसार प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी सं. 1 का वास्तविक नाम वागाराम पुत्र वोहताराम व विप्रार्थी सं. 2 का केहराराम पुत्र वोहताराम है। पत्रावली के सलंग्न दसवेजी साक्ष्यो-सरकारी दस्तावेजात यथा-, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, परिवार राश कार्ड, महानरेगा सहकारी किसान कार्ड में प्रार्थी का नाम वागाराम पुत्र वोहताराम व केहराराम पुत्र वोहताराम अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है, कि प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम बागाराम पुत्र बस्ताराम व केहराराम पुत्र बस्ताराम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का सही नाम वागाराम पुत्र वोहताराम व केहराराम पुत्र वोहताराम है। जो बागाराम पुत्र बस्ताराम के स्थान पर वागाराम पुत्र वोहताराम व केहराराम पुत्र बस्ताराम के स्थान पर केहराराम पुत्र वोहताराम दुरुस्ती करवाने के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम खारा महेचान के खेत खसरा संख्या 248 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 257

रकबा 2 2895 हैक्टेयर कुल रकबा 2.4513 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 243, 249, 250, 258, 520 रकबा क्रमशः 0.4450, 0.9304, 0.1618, 0.4773, 1.1002 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1147 हैक्टेयर तथा ग्राम सजाड़ा के खसरा संख्या 338 रकबा 1.8850 हैक्टेयर, खसरा संख्या 344 रकबा 0.6472 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5322 हैक्टेयर तथा पटवार मण्डल दाखां के ग्राम दण्ड के खसरा संख्या 156, 158, 24, 67, 69 रकबा क्रमशः 1.9578, 2.5807, 16, 2447, 4.7327, 0.7038 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2197 हैक्टेयर में भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि प्रार्थी का नाम बागाराम पुत्र बस्ताराम के स्थान पर वागाराम पुत्र वोहताराम व केहराराम पुत्र बस्ताराम के स्थान पर केहराराम पुत्र वोहताराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते है। शेष बद्दस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



आज दिनांक 04.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी